

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 04 / 2015 मु0फौ0

संस्थापन दिनांक 09.03.2015

श्रीमती शांति पत्नी रामजीलाल आयु 20 साल पुत्री  
बलवीर सिंह हाल निवासी चक चंदोखर (मल्हन का  
पुरा) एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड

— आवेदक

बनाम

रामजीलाल पुत्र सियाराम केवट आयु 24 साल निवासी  
ग्राम सिकरौदा थाना गोरमी तहसील मेहगांव जिला  
भिण्ड

— अनावेदक

आदेश

( आज दिनांक.....को पारित )

1. इस आदेश द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 द0प्र0स0 पर आदेश किया जा रहा है।
2. प्रकरण में स्वीकृत है कि आवेदिका का वर्ष 2014 में अनावेदक के साथ हिन्दू रीति के अनुसार विवाह संपन्न हुआ था। यह भी स्वीकृत है कि विवाह के बाद पांच दिवस तक शांति आ0सा01 अपने ससुराल में अच्छे से रही।
3. आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.04.14 को ग्राम चंदोखर मल्हन का पुरा तहसील गोहद से आवेदिका का अनावेदक के साथ विवाह संपन्न हुआ था जिसमें शांति आ0सा01 के पिता ने चार लाख रुपये का व्यय कर दहेज व बर्तन आदि दिए थे। शांति आ0सा01 पांच दिन ससुराल में रुकी और उसे अच्छे से रखा और फिर दोबारा 20-25 दिन अपने ससुराल में रही तब रामजीलाल अना0सा01 और उसके माता पिता बाबा दादी और परिवार के लोग कहने लगे कि दहेज में कुछ नहीं दिया। शांति आ0सा01 द्वारा मना करने पर उसकी मारपीट की जिसके बाद शांति आ0सा01 अपने पिता के साथ मायके आ गयी और घटना के बारे में बताया दिनांक 29.11.14 को शांति आ0सा01 को

रामजीलाल अना0सा01, उसका जेट और चचिया ससुर मायके से ससुराल ले गये और उन्होंने वचन दिया कि वह शांति आ0सा01 को दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने पचास हजार रुपये दहेज की मांग की और न देने पर शांतिबाई आ0सा01 की मारपीट करते थे और भूखा रखते थे। जब शांति आ0सा01 के चाचा महेन्द्रसिंह आ0सा02 उससे मिलने आये तब उन्होंने घटना के बारे में बताया जिन्होंने फोन से परिवार को सूचना दी और ससुराल में शांति आ0सा01 के परिवारजनो ने पंचायत जोड़ी लेकिन रामजीलाल अना0सा01 व उसके पिता ने मना किया और शांतिबाई आ0सा01 को भगा दिया तब से वह अपने पिता के पास स्थायी रूप से निवास कर रही है। शांतिबाई आ0सा01 कम पढ़ीलिखी है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। रामजीलाल अना0सा01 धनवान व्यक्ति है और उसके पिता व दादा के नाम से कृषि भूमि है तथा एक ट्रक व ट्रैक्टर भी है लेकिन रामजीलाल अना0सा01 भरण पोषण नहीं कर रहा है। शांतिबाई अपने पति के साथ रहने को तैयार है लेकिन वह जानबूझकर भरण पोषण करने से बच रहा है। अतः चार हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण रामजीलाल अना0सा01 से दिलाये जाने का निवेदन किया है।

4. अनावेदक ने जवाब में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त आवेदन पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि शांतिबाई आ0सा01 के पिता की चार लाख रुपये देने की क्षमता नहीं है और न ही उन्होंने कोई दहेज दिया। शांतिबाई आ0सा01 की कब मारपीट की गयी इसकी कोई दिनांक उल्लिखित नहीं है क्योंकि कोई मारपीट नहीं की गयी और जब शांतिबाई आ0सा01 के पिता व भाई लेने आये थे तब थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं की गयी और न ही कोई पंचायत जोड़ी गयी। साधारण रिवाज के अनुसार रामजीलाल अना0सा01 शांति आ0सा01 को लेकर आया था और कोई विवाद नहीं था। रामजीलाल अना0सा01 के बड़े भाई और चाचा अलग निवास करते हैं जिन्होंने कभी दहेज नहीं मागा। शांतिबाई आ0सा01 के पिता, चाचा, चाची व मां अपने साथ अन्य पांच लोगों को लेकर रामजीलाल अना0सा01 के घर आये और घर के सामान की तोड़फोड़ की और शांति आ0सा01 को जबरदस्ती ले गये। शांति आ0सा01 की मां ने कहा कि रामजीलाल अना0सा01 का रंग काला है इसलिए वह शांति आ0सा01 का विवाह अन्य जगह करेंगे और रामजीलाल अना0सा01 के साथ नहीं रखेंगे जिसकी शिकायत थाना गोरमी में की थी। अनावेदक मजदूरी करता है और वह अपने स्तर अनुसार शांति आ0सा01 का भरण पोषण करने को तैयार है शांति आ0सा01 अपने मां व परिवार के लोगों के बहकावे में आकर स्वेच्छा से अपने पिता के पास रह रही है जबकि वह शांति आ0सा01 को रखने को तैयार हैं। अतः आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या अनावेदक पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति है ?
2. क्या आवेदिका स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है ?
3. क्या अनावेदक ने आवेदिका के भरण पोषण की उपेक्षा की है ?
4. क्या अनावेदक आवेदिका को साथ रखकर भरण पोषण करने की प्रस्थापना करता है परंतु आवेदिका बिना पर्याप्त कारण के प्रथक निवास कर रही है ?
5. सहायता एवं व्यय ?

**//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष//**

6. शांति आ0सा01 ने कथन किया है कि रामजीलाल अना0सा01 के पास ट्रैक्टर और खेती है। महेन्द्रसिंह आ0सा02 ने भी कथन किया है कि शांति आ0सा01 की ससुराल पक्ष के पास ट्रक व ट्रैक्टर, खेती और 40बीघा जमीन है। बलवीर आ0सा03 ने भी कथन किया है कि रामजीलाल अना0सा01 के पास ट्रक व ट्रैक्टर और जमीन है जो उसके पिता के नाम होगी। रामजीलाल अना0सा01 ने कथन किया है कि वह मजदूरी करता है। धनीराम अना0सा02 ने भी कथन किया है कि रामजीलाल अना0सा01 मजदूरी करता है।
7. रामजीलाल ने पैरा 7 में इंकार किया है कि उसके और पिता के नाम जमीन है और इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके हिस्से में ट्रैक्टर भी है और बताया है कि वह बकरियां व पशु चराता है जिससे सौ रुपये मासिक मिलते हैं। लेकिन धनीराम अना0सा02 ने पैरा 2 में बताया है कि रामजीलाल अना0सा01 के पास सात विश्वा खेती है। इस संबंध में आवेदिका द्वारा खसरा प्र0पी-7 पेश किया है जिसमें रामजीलाल अना0सा01 के नाम खाता क्रमांक 457 स्थित हल्का सिकरौदा तहसील गोरमी जिला भिण्ड में 23/11.66 है0 भूमि है। अतः अनावेदक ने इस संबंध में असत्य अभिवचन किए हैं कि उसके पास खेती की जमीन नहीं है। जबकि साक्षी धनीराम अना0सा02 के कथन और खसरा प्र0पी-7 से स्पष्ट होता है कि वह कृषि भूमि धारित करता है। अनावेदक ने ऐसी भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि वह शारीरिक रूप से आय अर्जन योग्य निरयोग्य हो। अनावेदक के पास ट्रक व ट्रैक्टर होने के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है और ना ही अनावेदक के प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य स्पष्ट हुआ है। अतः अनावेदक जोकि हष्टपुष्ट व्यक्ति है और कृषि भूमि धारित करता है वह पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति होना सिद्ध होता है।
8. अतः इस विचारणीय प्रश्न का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

**//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का सकारण निष्कर्ष//**

9. शांति आ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह कोई काम नहीं कर पाती है। बलवीर आ0सा03 और महेन्द्र आ0सा02 ने भी शांति आ0सा01 के उक्त कथन का समर्थन किया है उक्त तीनों साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है कि शांति आ0सा01 आय अर्जित करती हो। रामजीलाल अना0सा01 ने भी मुख्यपरीक्षण में यह नहीं बताया है कि शांतिबाई आ0सा01 कोई कार्य करती हो और पैरा 8 में स्वीकार किया है कि शांतिबाई आ0सा01 अपने माता पिता पर बोझ बनकर रह रही है। अतः आवेदिका द्वारा दी गयी साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रही है जिसका समर्थन रामजीलाल अना0सा01 ने भी पैरा 8 में किया है। अतः शांति आ0सा01 कोई कार्य करके आय अर्जित करती हो यह प्रमाणित नहीं होता है।
10. अतः शांति आ0सा01 स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम न होना प्रमाणित होती है। अतः इस विचारणीय प्रश्न का विनिश्चय भी साबित के रूप में दिया जाता है।

**//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 व 04 का सकारण निष्कर्ष//**

11. शांति आ0सा01 ने कथन किया है कि जब वह अपनी ससुराल एक-डेढ महीने तक रुकी तब रामजीलाल अना0सा01 पचास हजार रुपये दहेज

मांगता था जो उसने अपने माता पिता को बताया। दीवाली पर उसका जेठ व चचिया ससुर उसे लेने आये थे तब उसे ससुराल भेजा था लेकिन रामजीलाल अना0सा01 फिर दहेज मांगकर मारपीट करने लगा और फिर उसके पिता ससुराल आये जिनके साथ वह मायके आ गयी और तब से वह मायके में ही रह रही है। उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायत प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं रामजीलाल अना0सा01 और उसके परिवारजन के विरुद्ध थाना गोरमी में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-2 लिखवाई थी जिसकी लिखित रिपोर्ट प्र0पी-3 है उसके शरीर पर आई चोटों का मेडीकल परीक्षण हुआ था जिसकी मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-4 है प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन प्र0पी-5 पेश किया गया है और उसने पंचनामा प्र0पी-6 भी पेश किया है। महेन्द्र आ0सा02 और बलवीर आ0सा03 ने भी शांति आ0सा01 के उक्त कथन का समर्थन किया है कि रामजीलाल अना0सा01 दहेज मांगकर शांति आ0सा01 की मारपीट करता था।

12. शांति आ0सा01 और महेन्द्र आ0सा02 ने पैरा 2 में इस आशय के तथ्यों को स्वीकार किया है कि शांति आ0सा01 के ताउ मायाराम की पुत्री का विवाह रामजीलाल अना0सा01 के चाचा जयराम के पुत्र से शांतिबाई के विवाह के पूर्व हुआ था और वह अपने ससुराल में अच्छे से रह रही है। इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है कि मायाराम का पुत्र भी रामजीलाल अना0सा01 के साथ निवास करता है। अतः जबकि शांति आ0सा01 का नातेदार का विवाह रामजीलाल अना0सा01 के नातेदार से हुआ और वह ठीक से निवास कर रहे हैं तब जबकि वह अनावेदक के साथ निवास कर रहे हैं यह प्रमाणित नहीं हुआ है तब स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आवेदिका को भी ठीक से रखा गया होगा।
13. शांति आ0सा01 ने पैरा 3 में बताया है कि शादी में चार लाख रूपया खर्च हुआ था और उसने स्वीकार किया है कि उसके पिता मजदूरी करते हैं। बलवीर आ0सा03 ने पैरा 4 में कथन किया है कि उसके पास एक बीघा खेती है और वह बटिया से खेती लेकर गुजारा करता है। महेन्द्र आ0सा02 ने पैरा 4 में कथन किया है कि बलवीर आ0सा03 एक बीघा भूमि से दस-बारह हजार रुपये प्रतिवर्ष और मजदूरी से दो-ढाई लाख रुपये प्रतिवर्ष कमा लेता है। अनावेदक का अभिवचन है कि बलवीर आ0सा03 की चार लाख रुपये देने की क्षमता नहीं थी। प्रकरण में सामाजिक रीति के अनुसार ही विवाह हुआ है। अनावेदक ने विवाह का व्यय वहन किया इस संबंध में न तो मौखिक साक्ष्य दी गयी है और ना ही अभिवचन किए गए हैं। अतः आवेदिका के पिता ने ही विवाह का व्यय वहन किया है। रामजीलाल अना0सा01 ने पैरा 3 में स्वीकार किया है कि शांति आ0सा01 के 8 रवालों ने पच्चीस हजार रुपये नगद अलग व बक्सा दिया था। यद्यपि बलवीर आ0सा03 धनवान व्यक्ति नहीं है परन्तु जबकि उसी के द्वारा विवाह का व्यय वहन किया गया है तब संभवतः चार लाख रुपये का व्यय न हुआ हो परन्तु व्यय उसी के द्वारा वहन किया गया है और इस संबंध में आवेदन में अभिवचन नहीं है कि विवाह के समय ही दहेज की मांग की गयी थी। अतः उक्त तथ्य जोकि विवाह के समय हुए व्यय के बारे में वर्णित है इस प्रकरण हेतु सुसंगत नहीं है।
14. शांति आ0सा01 ने पैरा 4 में गोरमी थाने में एफआईआर करता बताया है व पहली व दूसरी बार दहेज मांगने पर रिपोर्ट न करना स्वीकार किया है और एफआईआर प्र0पी-2 व आवेदन प्र0पी-3 उसके द्वारा नहीं दिया गया है ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है। यद्यपि उक्त दस्तावेजों की अंतर्वस्तु शांति आ0सा01



बताने में असमर्थ रही है लेकिन मुख्यपरीक्षण में एफआईआर प्र0पी-2 व आवेदन प्र0पी-3 के अनुसार ही उसने न्यायालयीन साक्ष्य में दहेज मांगने के तथ्य बताये हैं और उक्त दस्तावेज की अंतर्गवस्तु पर ध्यान आकर्षित कराकर शांति आ0सा01 को स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया गया है जिससे अंतर्वस्तु का ज्ञान न होना महत्वपूर्ण नहीं है। वैवाहित मामलों में प्रथम अथवा द्वितीय बार में ही रिपोर्ट लिखाया जाना प्रत्येक दशा में आवश्यक नहीं है चूंकि स्वाभाविक रूप से तत्पश्चात प्रशमन की संभावना क्षीण हो जाती है। चोटों के संबंध में शांतिबाई आ0सा01 उसे कहां चोटें आईं यह पैरा 5 में बताने में असमर्थ रही है। महेन्द्र आ0सा02 ने पैरा 5 में पुलिस थाना गोरमी में स्वयं जाकर रिपोर्ट लिखवाने से इंकार किया है और बताया है कि उसके समक्ष जब वह शोक में गया था तब शांतिबाई आ0सा01 की मारपीट हुई थी। मुख्यपरीक्षण में महेन्द्र आ0सा02 ने बताया है कि उसने शांतिबाई आ0सा01 के पिता को फोन से सूचना दी थी महेन्द्र आ0सा02 शांति आ0सा01 का पिता नहीं है। अतः घटना होने पर शांति आ0सा01 के पिता को सूचना दिया जाना पर्याप्त है और उसके द्वारा रिपोर्ट न करना अस्वाभाविक नहीं है। रामजीलाल अना0सा01 ने पैरा 5 में स्वीकार किया है कि शांतिबाई की रिपोर्ट के आधार पर उसके विद्व दहेज प्रताड़ना का मामला न्यायालय मेहगांव में चल रहा है जिसे लालसिंह अना0सा04 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। अंतिम प्रतिवेदन प्र0पी-5 पर अंतिम विनिश्चय अभिलेख पर नहीं है। अतः आवेदिका द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भी कार्यवाही की गयी है।

15. रामजीलाल अना0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि शांतिबाई आ0सा01 विवाह के बाद 5 दिन व 8 दिन रुकी उसके बाद वह कभी नहीं आई। वह लेने जाता है तो भी वह साथ में नहीं आती है और उसके सास ससुर भेजने से मना करते हैं और अन्यत्र विवाह करने की कहते हैं। वह शांति आ0सा01 को अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि वह अपने जीजा के साथ रहती है और कहती है कि वह 4 दिन रामजीलाल अना0सा01 के साथ और 8 दिन जीजा के साथ रहेगी। जब वह उसके साथ रहती थी तब वह खर्चा व भरण पोषण देता था अब नहीं पता कि वह कहां रहती है इस संबंध में उसने पंचनामा प्र0डी-1 व 2 भी पेश किए हैं।
16. धनीराम अना0सा02 ने भी कथन किया है कि शांतिबाई आ0सा01 ग्राम हरीक्षा में रहती है जहां उसका बहनोई रहता है और वहीं पर साथ में शांतिबाई आ0सा01 रहती है। रामजीलाल अना0सा01 शांतिबाई को लेने जाता है लेकिन शांतिबाई आ0सा01 आने से मना कर देती है। अब शांतिबाई आ0सा01 रहने को तैयार हो तो भी रामजीलाल अना0सा01 रखने को तैयार नहीं है क्योंकि बात खराब हो चुकी है। लालसिंह अना0सा04 ने कथन किया है कि शांतिबाई वर्तमान में ग्राम हरीक्षा में रह रही है उसे परेशान नहीं किया और वह अपनी मर्जी से मायके में रह रही है। रामजीलाल अना0सा01 शांति आ0सा01 को लेने जाता था उसके बाद भी वह साथ में नहीं आई। रामौतार अना0सा03 ने कथन किया है कि ग्रामवासियों ने पंचनामा प्र0डी-1 लिखा है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
17. शांति आ0सा01 ने पैरा 4 में और बलवीर आ0सा03 ने पैरा 2 में इस आशय के सुझावों से इंकार किया है कि बलवीर आ0सा03 के भाई दौलतराम की पुत्री जिसका विवाह ग्राम हरीक्षा में लला के साथ हुआ है। वह शांति आ0सा01 के

घर आता जाता है और शांति आ0सा01 भी लला के पासग्राम हरीक्षा गयी थी महेन्द्र आ0सा02 ने पैरा 4 में शांतिबाई का लला के साथ ग्राम हरीक्षा में जाने से इंकार किया है। अतः जारता में शांति आ0सा01 के निवास करने के संबंध में आवेदक साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है और न ही इस संबंध में कोई तथ्य जवाब आवेदन में लिखे गये हैं। इस संबंध में पंचनामा प्र0पी-6 आवेदिका ने पेश किया है। जिसमें उल्लेख है कि शांतिबाई पर झूठा लांछन लगाया जा रहा है जो सरपंच हरीक्षा द्वारा हस्ताक्षरित है लेकिन पंचनामा न्यायालय में साबित नहीं कराया गया है इसलिए वह सारभूत साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस संबंध में अनावेदक द्वारा भी पंचनामा प्र0डी-1 व 2 पेश किए गए हैं लेकिन मात्र रामौतार अना0सा03 के हस्ताक्षर पंचनामा प्र0पी-1 पर ही प्रमाणित कराये गये हैं और उसने भी प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि पंचनामा उसके सामने नहीं बना उसे जानकारी नहीं है कि पंचनामा किसने लिखा उसने पंचनामा पढ़ा भी नहीं और केवल हस्ताक्षर कर दिए। अतः रामौतार अना0सा03 के कथन से भी पंचनामा प्र0डी-1 उसके ज्ञान में निष्पादित होना प्रमाणित नहीं होता है जिससे पंचनामा प्र0डी-1 व 2 से अनावेदक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः शांति आ0सा01 का जारता में निवास करना आवेदक साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण से प्रमाणित नहीं हुआ है। केवल रामजीलाल अना0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में शांति आ0सा01 का जीजा के साथ निवास करना बताया है धनीराम अना0सा02 ने पैरा 2 में स्पष्ट कथन किया है कि उसके लड़के रामप्रीत ने बताया था कि शांति आ0सा01 हरीक्षा में निवास कर रही है उसने स्वयं हरीक्षा गांव में नहीं देखा। अतः स्वयं अनावेदक के बाबा धनीराम अना0सा02 द्वारा शांति आ0सा01 के जारता में निवास करने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में कथन नहीं दिए गए हैं। रामौतार अना0सा03 और लालसिंह अना0सा04 ने भी शांति आ0सा01 के जारता में निवास करने के संबंध में मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं दिए हैं।

18. अतः जवाब में अभिवचन के अभाव में प्रथम बार न्यायालयीन साक्ष्य में रामजीलाल अना0सा01 ने शांति आ0सा01 का जारता में निवास करना बताया है जिसका समर्थन स्वयं रामजीलाल अना0सा01 के अनावेदक नातेदार साक्षीगण ने नहीं किया है और रामजीलाल अना0सा01 के कथन की संपुष्टि नहीं की है। आवेदक साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है। अतः अत्यधिक दुर्बल साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदिका जारता में निवास कर रही है और जारता में निवास न करते हुए भी ऐसी टीका किया जाना पर्याप्त मानसिक कूरता स्पष्ट करता है।
19. रामजीलाल अना0सा01 ने पैरा 7 में स्वीकार किया है कि शांतिबाई आ0सा01 उसके साथ जाने को तैयार है लेकिन वह ले जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वह बार बार चली जाती है और उसकी बेज्जती हुई है। धनीराम अना0सा02 ने भी मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण में शांतिबाई आ0सा01 को न ले जाना स्वीकार किया है। लालसिंह अना0सा04 ने मुख्यपरीक्षण में रामजीलाल अना0सा01 का शांतिबाई को ले जाना बताया है लेकिन प्रतिपरीक्षण में कब लेने गया यह याद होने से इंकार किया है अतः जबकि स्वयं अनावेदक व उसके दादा शांतिबाई आ0सा01 को कहने पर भी उको साथ रखने को तैयार नहीं है तब लालसिंह अना0सा04 के उक्त अस्पष्ट कथन से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। रामजीलाल अना0सा01 व धनीराम अना0सा02 ने यह स्पष्ट नहीं किया

है क उनकी क्या बेज्जती हुई। विवाह के बाद रामजीलाल अना0सा01 का नैतिक कर्तव्य था कि वह शांति आ0सा01 को साथ रखे परन्तु उसके द्वारा शांतिबाई आ0सा01 की सहमति के उपरांत भी साथ रखने से इंकार किया जा रहा है। अतः स्वयं अनावेदक शांति आ0सा01 को साथ रखने हेतु सकारात्मक प्रयास नहीं कर रहा है जिससे अनावेदक के यह जवाब अभिवचन भी असत्य सिद्ध होते हैं कि वह शांति आ0सा01 को साथ रखने को तैयार है लेकिन वह स्वयं मायके में रह रही है।

20. रामजीलाल अना0सा01 ने पैरा 5 में कथन किया है कि जब शांतिबाई आ0सा01 से उसका विवाह हुआ था तभी उसने कहा था कि उसका रंग काला है इसलिए वह साथ में नहीं रहेगा और उक्त बात पूरे गांववालों को बतायी थी। जबकि अभिवचन में वर्णित किया है कि शांतिबाई की मां ने काले वर्ण के कारण शांति आ0सा01 का निवास करने से इंकार किया और वह भी विवाह के पश्चात घर आकर किया जाना बताया है जबकि न्यायालयीन साक्ष्य में इसके विपरीत विवाह के समय-समय से ही शांतिबाई आ0सा01 द्वारा उसके वर्ण के कारण साथ निवास न करना बताया है अतः अभिवचन और न्यायालयीन साक्ष्य में पर्याप्त विरोधाभास है जो भी अनावेदक की प्रतिरक्षा स्पष्ट नहीं करते हैं कि आवेदिका उसके वर्ण के कारण उसके साथ निवास नहीं कर रही है।
21. रामजीलाल अना0सा01 ने पैरा 3 में इंकार किया है कि उन्होंने शांति आ0सा01 से दहेज की मांग की। दहेज की मांग किए जाने के संबंध में शांतिबाई द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिए कथन भी प्रतिपरीक्षण में खण्डित नहीं हुए हैं। धारा 125 दप्रस के मामले में संदेह के परे तथ्य प्रमाणित नहीं होने हैं अपितु संभावना की प्राबल्यता पर विनिश्चय दिया जाना है अतः जबकि अनावेदक स्वयं आवेदिका के कहने पर ही अपने साथ रखने को तैयार नहीं है और अपने वर्ण के कारण उसका प्रथक निवास करना असत्य रूप से बता रहा है तब अनावेदक द्वारा दहेज की मांग कर कूरता कारित नहीं की गयी होगी इस तथ्य की संभावना अल्प ही है।
22. अतः अनावेदक यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि आवेदिका स्वेच्छा से अपने पिता के पास निवास कर रही है। शांतिबाई आ0सा01 के पिता के पास निवास करते हुए उसने भरण पोषण संदाय किया है यह तथ्य भी अनावेदक साक्षीगण ने नहीं बताया। अतः अनावेदक द्वारा भरण-पोषण की उपेक्षा भी की गयी है।
23. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक ने आवेदकगण के भरण-पोषण की उपेक्षा की है परन्तु यह प्रमाणित नहीं हाता है कि अनावेदक आवेदक क्रमांक 1 को साथ रखकर भरण-पोषण करने की प्रस्थापना करता है परन्तु आवेदक क्रमांक 1 बिना पर्याप्त कारण के प्रथक निवास कर रही है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का विनिश्चय साबित व विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

### // विचारणीय प्रश्न क्रमांक 05 का सकारण निष्कर्ष //

24. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर आवेदिका भरण-पोषण प्राप्त करने की पात्र होना सिद्ध होती है। आवेदिका ने चार हजार रुपये मासिक भरण पोषण की प्रार्थना की है परन्तु 23/11.66 है0 भूमि के

अतिरिक्त अनावेदक की आय का अन्य कोई स्रोत आवेदिका सिद्ध करने में असफल रही है। अतः इस चरण पर आवेदिका को उभयपक्ष के आर्थिक व सामाजिक परिवेश के आलोक में ढाई हजार रुपये भरण पोषण राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

25. अतः ओवदन स्वीकार अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से मासानुसार प्रत्येक मास की नियत दिनांक 5 तक दो हजार पांच सौ रुपये भरण पोषण राशि संदाय करे।
26. अनावेदक स्वयं के साथ आवेदिका का प्रकरण व्यय वहन करेगा जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।
27. आदेश की प्रति निःशुल्क आवेदकगण को प्रदान की जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)